

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

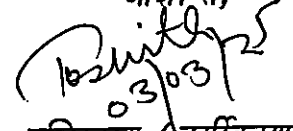
आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ८३५ / २०२५

दिनांक ०५.०३.२०२५

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.११.(३) न्याय/२००२, दिनांक ०८.०९.२००५ सपठित राजकीय सेवा नियम १९५१ के नियम९१-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक ०१.०४.२००० से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम ३० दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
०१.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा (RJ00514), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-०२, किशनगढ़बास (अलवर)।	३०	२०२४ - २०२६	०६-०२-२०२५

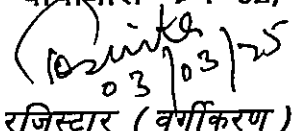
आज्ञा से,

०३/०३/२५
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/७६/२००५/ १८३६

दिनांक : ०५ ०३.२०२५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
- श्री जगदीश प्रसाद मीणा (RJ00514), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-०२, किशनगढ़बास (अलवर)।


०३/०३/२५
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
३५/०३/२५